संख्या- 01 /2019/ 277/38-3-2019-54एल0सी0/2004

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 शासन।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 15फरवरी, 2019

विषय:-संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी के कुल 242 अस्थाई पदों की वर्ष 2018-19 की निरन्तरता की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-363/स्था0प्र0/2019, दिनांक 12.02.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-यू0ओ0-46/38-6-88-15पी0एस0/87, दिनांक 23.06.1988 द्वारा संयुक्त खण्ड विकास अधिकारियों के स्वीकृत 244 अस्थाई पदों, जिसमें से 02 पद उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित हो गया था, की कार्योत्तर निरन्तरता की स्वीकृति शासनादेश संख्या-19/38-3-2019-54एल0सी0/2004, दिनांक 04 फरवरी, 2019 द्वारा वर्ष 2017-18 में दिनांक 28.02.2019 तक प्रदान किया गया था।

2- इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त संलग्न विवरण के अनुसार संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी के कुल 242 अस्थाई पदों की निरन्तरता वर्ष 2018-19 मे 28 फरवरी, 2019 तक निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त पद चूँकि अस्थाई हैं अतएव शासन द्वारा इसे किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

(2) बिना निरन्तरता जारी किये उक्त पदों का वेतन आहरण वित्तीय अनियमितता की श्रेणी मे आयेगा।

3- उक्त पदों का वेतन आहरण वित्तीय वर्ष 2018-19 मे अनुदान संख्या-13 के लेखा शीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट) के सुसंगत मानक मदों से आहरित किया जायेगा।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,
लाल धीरेन्द्र राव
उप सचिव।

संख्या- 01 /277(1)/38-3-2019-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/ग्राम्य विकास अनुभाग-1।
3- अपर आयुक्त (वित्त), ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ।
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
लाल धीरेन्द्र राव
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या- 01 /2019/ 277/38-3-2019-54एल0सी0/2004

दिनांक 15 फरवरी, 2019 का संलग्नक

कार्योत्तर स्वीकृति का प्रारूप

क्र0	पद का नाम	विभाग का नाम	पद सृजन संबंधी शासनादेश	अन्तिम बार जारी निरन्तरता संबंधी शासनादेश	अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक	वेतनमान/ग्रेड वेतन	आलोच्य अवधि में निहित/व्यय की धनराशि का विवरण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी	ग्राम्य विकास विभाग	यू0ओ0-46/38-6-88-12पी0एस0/87 दिनांक 23.06.1988	संख्या-19/38-3-2019-54एल0सी0/2004 दिनांक 04 फरवरी, 2019	अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक - 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03 मुख्य अधिष्ठान(ब्लाक बजट) के सुसंगत मानक मद	रू0 9300-34,800, गेड वेतन रू0 4600 (सातवॉ वेतनमान- रू0 44,900-142400) (लेवल 7)	मूल वेतन व महंगॉई भत्ता रू0 14,21,24,662/- एवं अन्य भत्ते ।	--------

राम केशर यादव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।